न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 11/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गोरधन जयंत उम्र 66 वर्ष जाति जाटव निवासी जगजीवन राम कॉलोनी शाहबाद रोड बारां मैसर्स जयंत ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर चौराहा बारां।
2. श्री चेतन कुमार जैन पुत्र श्री शान्ति कुमार जैन जाति जैन निवासी प्रताप चौक बारां (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स अभिषेक कुमार एण्ड कम्पनी, प्रताप चौक बारां।
3. श्री कुलदीप सालूजा निवासी एस–329, ग्रेटर कैलाश न्यू देल्ही, देल्ही (निदेशक–1) M/s Sterling Agro Industries, 8/385, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 (Raj.)
4. श्री पवन कुमार केशवानी निवासी क्यूडी–24, विशाखा इन्कलेव पिताम्पुरा देल्ही (निदेशक–2) M/s Sterling Agro Industries, 8/385, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 (Raj.)
5. श्री विवेक कैशवानी निवासी एनडी–69, विशाखा इन्कलेव पिताम्पुरा देल्ही (निदेशक–3) M/s Sterling Agro Industries, 8/385, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 (Raj.)
6. श्री परमजीत सिंह खम्बा निवासी 32/16 अशोक नगर न्यू देल्ही, देल्ही (निदेशक–4) M/s Sterling Agro Industries, 8/385, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 (Raj.)
7. श्री जय हिन्द मिश्रा पुत्र श्री राम समुज मिश्रा (नोमिनि) M/s Sterling Agro Industries, 74-76, Phase-1 HSIDC Industries Area Kundi Dist. Sonepat (Heryana)
8. M/s Sterling Agro Industries, 74-76, Phase-1 HSIDC Industries Area Kundi Dist. Sonepat (Heryana)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 18.06.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2017 को मैसर्स जयंत ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर चौराहा बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गोरधन जयंत **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 19.07.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** 200मि0ली0 पैक में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **घी (नोवा)** विक्रेता से 200 मि0ली0 के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गोरधन जयंत को 320/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री गिरधर शर्मा व श्री अजय जयंत के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **घी (नोवा)** 200मि0ली0 की 04 अलग–अलग कर चार नमूना भाग में कर मूल पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक निमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–745 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–745 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रमेश चन्द पुत्र श्री गोरधन जयंत ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/185 दिनांक 03.08.2017 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.568/Act/2016/578 दिनांक 25.07.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(C)(i) के तहत **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standard & Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जयंत ट्रेडिंग कम्पनी, अम्बेडकर चौराहा बारां से पत्रांक 203 दिनांक 17.08.2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं क्रय बिल प्रति चाही गई। मैसर्स जयंत ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। मैसर्स अभिषेक कुमार एण्ड कम्पनी, प्रताप चौक बारां से पत्रांक 255 दिनांक 23.10.2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना चाही गई। मैसर्स अभिषेक कुमार एण्ड कम्पनी द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी, आधार कार्ड एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। M/s Sterling Agro Industries, 8/385, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023 (Raj.) से पत्रांक 275 दिनांक 02.11.2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं क्रय बिल की सूचना चाही गई। M/s Sterling Agro Ltd. द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, वेट 03 फार्म, फार्म–बी तथा निर्माता फर्म नोमिति फार्म 9 एवं स्थानान्तरण माल रसीद कार्यालय में पेश किया गया जिसमें निदेशक क्रमशः श्री कुलदीप सालूजा, श्री पवन कुमार केशवानी, श्री विवके कैशवानी, श्री परमजीत सिंह खम्बा पाये गये। और श्री जय हिन्द मिश्रा पुत्र श्री राम समुज मिश्रा **(नोमिनि)** M/s Sterling Agro Industries, 74-76, Phase-1 HSIDC Industries Area Kundi Dist. Sonepat (Heryana) है।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.04.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर अंतिम सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 200 ग्राम** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standard & Misbranded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कहा कि एफ.एस.एस. एक्ट 2006 की धारा 66 के अनुसार किसी कम्पनी के भिन्न–भिन्न स्थापन या शाखाएं है या किसी स्थापन या शाखा में भिन्न–भिन्न यूनिटें हैं वहॉ सम्बद्ध प्रमुख या कम्पनी द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में नामनिर्देशित ऐसे स्थापन या शाखा या यूनिट का भारसाधक व्यक्ति ऐसे स्थापन, शाखा या यूनिट के बाबत् उल्लंघन के लिए दायी होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी कम्पनी की भिन्न–भिन्न यूनिट है तथा कम्पनी के द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति (नोमिनी) अभियुक्त संख्या 7 श्री जय हिन्द मिश्रा है। अभियुक्त संख्या 3 लगायत 6 को प्रस्तुत प्रकरण में गलत ढंग से संयोजित करते हुये गलत रूप से बतौर अभियुक्त/पक्षकार बनाया है। कम्पनी ने नोमिनी नियुक्त किया हुआ है ऐसी दशा में कम्पनी के डायरेक्टर दायी नहीं है तथा कम्पनी द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन हेतु डायरेक्टर को बतौर अभियुक्त/पक्षकार संयोजित करना विधितः गलत है। अतः प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त संख्या 3 लगायत 6 के विरूद्ध खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी प्रकरण फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्रांड मानते हुये प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 32, एफ.एस.एस.ए. एक्ट–2006 के तहत मिस ब्रांड के प्रकरणों में नोटिस प्रेषित कर अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। यद्यपि अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत घी का नमूना जिसमें संघटक केवल मात्र दूध वसा (Milk Fat) है। घी में कोई भी कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त नहीं है अतः पैकेज पर उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल अधिनियम के अनुसार लगाया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु फिर भी मिन प्रत्यर्थी द्वारा Nutritional Information Per 100 gm को सुधार कर दुरूस्त कर लिया गया था। बिना चेतावनी दिये न्यायनिर्णयन आवेदन–पत्र दायर करने को Harassment मानते हुये एफ.एस. एस.ए.आई में दिनांक 17.01.2018 को advisory जारी कर इस प्रकार के प्रकरण Rectification Process के तहत् निर्देश जारी किये गये है। अतः प्रस्तुत प्रकरण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा जो आवेदन पत्र तथा दस्तावेजात श्रीमान के समक्ष पत्रावली के साथ प्रस्तुत किये हैं उनसे प्रथम दृष्ट्या कोई मामला मिस ब्राण्ड का प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध नहीं बनता है, ना ही खाद्य विश्लेषक ने अपनी जाँच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिस ब्राण्ड होता है यह जाँच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। इस कारण से केवल मात्र खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध मिस ब्राण्ड का प्रकरण आयद नहीं होता है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रश्नगत घी का नमूना जिसमें संघटक केवल मात्र दूध वसा (Milk Fat) है। घी में कोई भी कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त नहीं है अतः पैकेज पर उस तथ्य का कथन करने वाला घोषणात्मक लेबल अधिनियम के अनुसार लगाया जाना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिनियम या खाद्य सुरक्षा या मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली–2011 के अधीन विनियम 2.2.2(3) के परन्तुक के अनुसार ऐसे उत्पाद जिनमें एकल संघटक है उन्हें ऐसे खाद्य की दशा में पोषणकारी जानकारी दिया जाना आवश्यक नहीं है। घी में केवल एक मात्र संघटक दूध वसा (Milk Fat) है। विधि के अनुसार पोषणकारी जानकारी दिये जाने की अनिवार्यता न होने पर भी प्रश्नगत घी के नमूने में कम्पनी द्वारा पोषणकारी जानकारी भी नियमानुसार दी है। अतः लेब की रिपोर्ट संख्या L.S. 568/Kota/Act/2016/578 दिनांकित 25.07.2017 में उल्लेखित मिथ्या छाप की राय निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि लेब की रिपोर्ट संख्या L.S. 568/Kota/Act/2016/578 दिनांकित 25.07.2017 में लेबल के विषय में निष्कर्ष दिया गया है कि प्रत्यर्थीगण से प्राप्त किये गये घी के नमूने में पोषणकारी जानकारी नियमानुसार नहीं दी गई है। उक्त जानकारी खाद्य सुरक्षा या मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली–2011 के अधीन विनियम 2.2.2(3)(ii) के अनुसार नहीं दी गई है। जबकि सही तथ्य यह है कि उक्त लेबल पर घी के मामले में पोषणकारी जानकारी दिया जाना आवश्यक नहीं है। लेब की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा विनियम 2.2.2(3)(ii) के अनुसार जानकारी नहीं दी गई होना, दर्शाया है। उक्त परन्तुक से यह तथ्य स्पष्ट है कि ऐसे उत्पादों में पोषणकारी जानकारी दिया जाना आवश्यक नहीं होगा, जहाँ पर खाद्य पदार्थ एकल संघटक से बना है। जिस कारण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध मामला निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि फुड एनालिस्ट को नमूने को मिस ब्राण्ड घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कन्टेनर पर जो लेबल डिक्लेरेशन होता है उसकी जाँच का प्रावधान धारा–46, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 में दिया हुआ नहीं है। फूड एनालिस्ट को केवल मात्र नमूने की जांच कर विश्लेषण रिपोर्ट देनी होती है न कि मिस ब्राण्ड की राय देनी होती है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना कार्यवाही करते समय मौके के जो कागजात, फार्म नम्बर 5ए तथा फर्द रिपोर्ट बनाई उनमें नमूने कन्टेनर के लेबल में मिस ब्राण्ड होने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त आवेदन पत्र में फूड एनेलिस्ट की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए नमूने को मिस ब्राण्ड माना है जबकि लेबल के मिस ब्राण्ड होने के लिए फूड एनेलिस्ट की राय की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से जाँच रिपोर्ट के आधार पर नमूने को मिस ब्राण्ड नहीं माना जा सकता है।

यह कि जब कोई प्रकरण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध उक्त रिपोर्ट के आधार पर बनना नहीं पाया जाता है तो उक्त आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है और फूड एनेलिस्ट की रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S.568/Act/2016/578 दिनांक 25.07.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **घी (नोवा)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **घी (नोवा) 200 मि0ली0 पैक** जॉच मे **अवमानक व मिथ्याछाप (Sub Standard & Misbranded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 व 52 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 8 को 5,000/– 5,000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)